संख्या- 5/645/बयालिस-2017-197(विविध)/2017

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2018**

विषय :- कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम, मेरठमें सिन्थेटिक हॉकी मैदान के निर्माण हेतु खेलों इण्डिया योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 1921/2017-18, दिनांक 12 मार्च, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खेलों अण्डिया योजनान्तर्गत जनपद मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम में सिन्थेटिक हॉकी मैदान की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा खेलों इण्डिया योजनान्तर्गत जनपद मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम में सिन्थेटिक हॉकी मैदान की स्थापना हेतु आंकलित लागत रू0 539.71 लाख (रू0 पांच करोड़ उन्तालीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 645(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशल लि, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश संख्या- 2472/बयालिस-2018-152(विविध)/2016, दिनांक 16 जनवरी, 2018 एवं एम0ओ0यू0 में उल्लिखित शर्तों के अधीन 01 वर्ष (12 माह) में उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(2)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, स्पोर्टस स्टेडियम, मेरठ।

(3)- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशल लि0, गाजियाबाद।

(4)- प्रधानाचार्य/सचिव, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, कुर्सी रोड, लखनऊ।

(5)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in